उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

UPPTCL

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division,Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle
Colony Ghazipur
Pin 233002

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@upptcl.org

कार्यालय अधि[illegible]ासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड, गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक. 2014 वि0प्रे0खं–(गा0)/ दिनांक. 25/11/2021

विषयः–400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद वनप्रभाग
सोनभद्र

सन्दर्भ–1.मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1073/11–सी0FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 28.09.2021
2. आपके कार्यालय पत्रांक 670/सोनभद्र/33 दिनांक–29.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 03 जो कि दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता से सम्बन्धित है के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1824 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक–22.10.2021 जो कि मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर को सम्बोधित है तथा आपको प्रतिलिपि है द्वारा मुख्य वन संरक्षक महोदय मिर्जापुर से प्रस्ताव मे दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु आग्रह किया गया था, जिसके कम में मुख्य वन संरक्षक महोदय मिर्जापुर तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक–06.10.2021 को बैठक मे निर्णय लिया गया कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया (बैठक कार्यवृत्त संलग्न) जिस कारण दण्डात्मक एन0पी0वी0 की देयता नहीं बनती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों एवं कमियों को दूर कर प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथापरोक्त

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं0–(गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
2. मुख्य अभियन्ता, (पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

400के0वी0अनपरा वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन में में प्रभावित होने वाले कुल 319.28हे0 (रेनुकूट वन प्रभाग 98.28हे0, ओबरा वन प्रभाग 113.048हे0, सोनभद्र वन प्रभाग 15.79हे0, मीरजापुर वन प्रभाग 37.51हे0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग 54.652हे0) वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक–06.10.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा, प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र, प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट व प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर उपस्थित रहे। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर के पत्र संख्या–165/वि0प्रे0खं0–गा0/ दिनांक–01.02.2021 में उल्लिखित बिन्दु (जिसमें लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाये जाने का अनुरोध किया गया है।) पर प्रभागीय वनाधिकारियों से विचार–विमर्श के दौरान प्रकाश में आये तथ्य निम्नानुसार हैः–

1. भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 (जिससे पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य की अनुमति दी गयी थी) में कोई समय सीमा वर्णित नहीं है।
2. भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 (जिससे पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य की अनुमति दी गयी थी) के कम में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–जी0आई0 444/14–2–93–707/89 दिनांक–23.02.1994 द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 319.28हे0 क्षेत्र को 20 वर्ष हेतु लीज पर दिया गया था। जिसकी लीज अवधि दिनांक–22.02.2014 को समाप्त हो चुकी है।
3. लीज समाप्त होने के उपरान्त लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित किया गया है। राजस्व क्षति को दृश्टिगत सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा लीज समाप्ति की तिथि दिनांक–22.02.2014 को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर के अनुसार लीज रेंट का निर्धारण कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी से लीज रेंट का भुगतान करनें का अनुरोध किया गया। जिसके कम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लीज रेंट का भुगतान लगातार किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित मत स्थिर किया गयाः–

चूकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

पत्रांकःसा0– 1825 /मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर 11, 2021

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र, रेनुकूट, मीरजापुर एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।